न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 61/2021
दायर दिनांक :– 11.08.2021

अनवान

1. हरनाथ पिता कल्याण मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
2. सौराज पिता बालू मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
3. रामराज पिता बन्ना मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
4. सांवरा पिता बजरंग मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
5. कैलाशी पत्नि बजरंग मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
6. चतरालाल पिता हरजी मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. सुरेश पिता मोहन खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
2. मोहन पिता सुवा खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
3. मनीष पिता सुरेश खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
4. त्रिलोक पिता सुरेश खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री बद्रीलाल मीणा, एडवोकेट वादीगण

दिनांक 23.05.2022

:: निर्णय ::

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम रोपां प. ह. रोपां तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 1685/2, 1787, 1872, 1897, 2158, 2163, 2179, 2181, 2186, 2187, 2193, 2194, 2195 कुल किता 13 रकबा 22.17 बीघा कृषि भूमि वादीगण व सहखातेदार निर्बाद रूप से शांतिपूर्ण बेरोक टोक काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि में आराजी सं. 2186, 2187 मे गॉव के ही प्रतिवादीगण एक नाजायज गिरोह बना रखा है प्रतिवादीगण अपनी शक्ति के बल पर वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन कबजा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है वादीगण की इस भूमि पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। इस कारण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने के लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालिन की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे दखलदांजी करते है तो वादीगण को अनावश्यक

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

मुकदमें बाजी में उलझाना पड़ेगा इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालिन की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है खातेदार बालू व बन्ना का देहवासान होने के कारण इनके विधिक वारीसान सौराज व रामराज को पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 01.06.2021 को वादीगण अपनी उक्त भूमि को हांकने गये तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि यह भूमि हमारी हैं हम इस पर नाजायज रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करेगे। उक्त धमकी से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 2186, 2187 में प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, व जबरन कब्जा न करे न निर्माण करे इसी आशय की स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालिन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 606 की नकल जमावन्दी सम्वत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 1 है, नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में सोराज मीणा, पी डब्ल्यु 1, सांवरा मीणा पी डब्ल्यु 2, हरनाथ मीणा पी डब्ल्यु 3, रमेश पी डब्ल्यु 4, रामराज पी डब्ल्यु 5, चतरालाल पी डब्ल्यु 6 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने बताया की उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं सहखातेदारों की खातेदारी भूमि है। प्रतिवादीगण एक नाजायज गिरोह बना रखा है प्रतिवादीगण अपनी शक्ति के बल पर वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन कबजा कर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं वादीगण की इस भूमि पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 2186, 2187 में प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, व जबरन कब्जा न करे न निर्माण करे इसी आशय की स्थाई निषेधाज्ञा सर्वकालिन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2072 – 75 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 2186, 2187 कृषि भूमि वादीगण एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन अतिचार करना चाहते है, ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी सं. 2186, 2187 में प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//...

Scanned with CamScanner

वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, व जबरन कब्जा न करे न निर्माण करे इसी आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम रोपां प. ह. रोपां तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 2186, 2187 में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, व जबरन कब्जा व निर्माण न करे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड, अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. हरनाथ पिता कल्याण मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
2. सौराज पिता बालू मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
3. रामराज पिता बन्ना मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
4. सांवरा पिता बजरंग मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
5. कैलाशी पत्नि बजरंग मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर
6. चतरालाल पिता हरजी मीणा नि. रोपां तह. जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. सुरेश पिता मोहन खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
2. मोहन पिता सुवा खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
3. मनीष पिता सुरेश खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
4. त्रिलोक पिता सुरेश खटीक नि. रोपा तह. जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण...............

दावा बाबत – 88, 89, 92ए, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 61/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री बद्रीलाल मीणा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम रोपां प. ह. रोपां तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 2186, 2187 में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, व जबरन कब्जा व निर्माण न करे इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .05.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner